

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) चौहटन, जिला बाड़मेर
कमांक/भू.अ./2025/522

दिनांक 24/04/25

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. गिरधारीराम पुत्र भवराराम 2. दोली पत्नि रामाराम 3. पनी पत्नि भवराराम 4. पेमाराम पुत्र रामाराम 5. पूराराम पुत्र भवराराम 6. भूटाराम पुत्र रामाराम 7. लालाराम पुत्र भवराराम 8. हेमाराम पुत्र रामाराम जाति जाट निवासी सुकालिया तहसील चौहटन जिला बाड़मेर	1. मानाराम पुत्र मदरूपाराम 2. राजूराम पुत्र सोनाराम 3. मगाराम पुत्र किशनाराम 4. भवरीदेवी पत्नि गोसाईराम जाति जाट निवासी सुकालिया तहसील चौहटन 5. कबीराराम 6. चेतनराम पि. खाकूराम जाति मेघवाल 7. आचार पुत्र लुकमान 8. जुसब पुत्र लुकमान 9. धूरा पुत्र लुकमान 10. सिलेमान 11. नबाब पि. हकीम 12. जनू पुत्र खमीशा जाति मुसलमान निवासी सुकालिया तहसील चौहटन 13. तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते करने
नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन 222/2024

दिनांक 24/04/25

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ मौजा सुकालिया के खेत खसरा सं. 1067/897, 896, 728, 1167/898, 754 रकबा कमशः 14.5687, 10.9265, 9.5829, 3.1242, 1.4407 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मन तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यक होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

प्रार्थी कमिश्नर को कमिश्नर फीस रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



कमांक/भू.अ./2025/523 to 26

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार, चौहटन
2. प्रार्थी गिरधारीराम पुत्र भवराराम व अन्य।
3. विप्रार्थीगण मानाराम पुत्र मदरूपाराम व अन्य।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धोरीमना/धनाऊ



(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन